



Citizen Charter

नागरिक अधिकार-पत्र

2010



चुनाव विभाग, हरियाणा

तीसरी मंजिल, 30-बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17बी, चण्डीगढ़ ।

दूरभाष: 0172-2701200, 2728936, 2701362 फैक्स: 0172-2706556

E-mail: hry_elect@yahoo.com Website: www.ceoharyana.nic.in

कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी, हरियाणा

नागरिक अधिकार पत्र

चुनाव विभाग, हरियाणा, मतदाता सूचियों की तैयारी व पुनरीक्षण करना, मतदाताओं के पहचान-पत्र बनाना, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्पन्न करवाने से सम्बन्धित कार्यों का संचालन, भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण में रहकर करता है।

इस कार्यालय की सभी जिला स्तर पर जिला चुनाव कार्यालय के नाम से उपायुक्त (Deputy Commissioner) के अन्तर्गत कार्य करता है, जिनमें चुनाव तहसीलदार / उप तहसीलदार कामकाज संभालते हैं व उप जिला चुनाव अधिकारी भी इस कार्य के लिए नियुक्त हैं।

1 आपके अधिकार

हरियाणा की मतदाता सूची में अपना नाम लिखवाने का आपका अधिकार है यदि आप

- (i) भारत के नागरिक हैं,
- (ii) उस चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने के पात्र हैं जिसमें आप सामान्यतः रहते हैं।
- (iii) अर्हता की तिथि पर 18 वर्ष या अधिक के हैं (सामान्यतः हर वर्ष की पहली जनवरी को), और
- (iv) इस हेतु अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं।

2 मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना तथा संशोधन

कोई भी व्यक्ति, जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है, परन्तु उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी से सम्पर्क कर अपने आवेदन निम्नलिखित फार्मों में करें :-

फार्म 6 : मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु।

फार्म 7 : मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति।

फार्म 8 : मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में दिए गए विवरणों पर आपत्ति।

फार्म 8 (क) : मतदाता सूची में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन।

मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु व हटवाने का इद्राज दुरुस्त करवाने हेतु आप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूचियों के संशोधन हेतु निर्धारित अवधि के दौरान अपना आवेदन निर्धारित प्राप्ति स्थल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त फार्म आप उक्त अवधि के अलावा किसी भी कार्य दिवस को जमा करवा सकते हैं, लेकिन निरन्तर अपडेशन (नवीनीकरण) प्रक्रिया के तहत आप द्वारा अपना दावा आदि दोहरी प्रति में सम्बन्धित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को ही देना होगा। फार्म आदि को भरने व अन्य प्रक्रिया की जानकारी हेतु सम्बन्धित फार्म के साथ मार्गदर्शनावली भी संलग्न है।

नोट:- उपरोक्त फार्मों की फोटो प्रतियां व हस्त-लिखित आवेदन यदि वे निर्धारित फार्म के अनुसार हों तो वे मान्य हैं। उपरोक्त फार्म भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.eci.nic.in से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यह फार्म चुनाव विभाग, हरियाणा की वेबसाईट www.ceoharyana.nic.in पर भी उपलब्ध है।

चेतावनी:- इस संबंध में मिथ्या घोषणा करने वाला व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अंतर्गत एक वर्ष तक के कारावास तथा/या जुर्माने से दण्डनीय होगा।

3. आवेदनों का समयबद्ध निपटारा:

रजिस्ट्रेशन का कार्य मतदाता पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer) स्तर पर उप मण्डल कार्यालयों में होता है। मतदाता पंजीकरण अधिकारी इस विषय पर आवश्यक जांच पड़ताल व अपनी कार्यवाही अधिकतम 21 दिन में पूर्ण करेगा व उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

4. अपील

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 व 23 के अन्तर्गत अपील सम्बन्धित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को की जा सकती है।

5. मतदाता पहचान पत्र

यदि आपका नाम आपकी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है तो आप सम्बन्धित जिला चुनाव कार्यालय में फोटो खिंचवाकर अपना फोटो पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके गुम हो जाने की स्थिति में अथवा त्रुटियों में सुधार आदि के लिए प्रार्थना पत्र के जमा कराने के सातवें दिन यथोचित जांच पड़ताल के बाद फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। पहचान पत्र की शुद्धि भी निःशुल्क है, परन्तु यदि आपका पहचान पत्र गुम हो गया है या खराब हो गया है तो डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र बनवाने पर 25/- रुपये शुल्क अदा करना होगा। आप फार्म नम्बर 001ए / 001बी के साथ अपना फोटो भी दे सकते हैं इससे आपको फोटो खिंचवाने आने की भी आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार ने मतदाता पहचान पत्र को सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु पहचान के लिए वैध दस्तावेज घोषित किया है।

5. मतदाता सूचियों में प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियों के जारी करने एवं निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों को देखने की अनुमति आवेदक को वर्तमान में लागू निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति उसी दिन तथा पुरानी निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति अधिक से अधिक चौथे दिन न्यायालय शुल्क (स्टाम्प के रूप में) प्रार्थना पत्र पर लगाने के पश्चात जारी की जाएगी।

अगर कोई आवेदक किसी विशेष वर्ष की मतदाता सूची देखना चाहता है तो मतदाता पंजीकरण अधिकारी निम्नलिखित न्यायालय शुल्क (स्टाम्प के रूप में) प्रार्थना पत्र पर लगवाने के बाद आवेदन पर स्वीकृति प्रदान करेगा।

शुल्क:

- | | | |
|---|---|------|
| (1) मतदाता सूची को देखने के लिए शुल्क | : | 12/- |
| (2) वर्तमान सूची में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति लेने के लिए शुल्क | : | 12/- |
| (3) तत्काल फीस | : | 12/- |

तत्काल शुल्क: यदि आवेदक प्रमाण पत्र तुरन्त चाहता हो तो सामान्य शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा।

- (4) वर्ष 2009 की मतदाता सूची हिन्दी में सी.डी. के रूप में भी उपलब्ध है, जिसकी दरें निम्न हैं:-

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| (क) प्रति संसदीय क्षेत्र | - | रूपये 900/- |
| (ख) प्रति विधानसभा क्षेत्र | - | रूपये 100/- प्रति सी.डी. |

चुनाव कार्यालय से सम्बन्धित उपरोक्त सेवाएं जनता के लिए मतदाता पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सांय 3 बजे तक उपलब्ध होगी। शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय आवेदक को प्रमाणित प्रति तथा फोटो पहचान पत्र देने के लिए निर्धारित है। प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति तथा मतदाता सूची को देखने को छोड़कर बाकी निर्वाचन सम्बन्धी सेवाएं/जानकारी निःशुल्क उपलब्ध है।

6. संसद एवं राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं

कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधान सभा के स्थान को भरने के लिए चुने जाने योग्य होगा, यदि वह

- भारत का नागरिक है।
- किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता या प्रतिज्ञा करता है,
- 25 वर्ष की आयु से कम का नहीं है, और
- वह संबंधित कानूनों के अन्तर्गत अन्यथा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

एक अभ्यर्थी को, जिसे किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है, अपना नामांकन पत्र 10 प्रस्तावकों, जो उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हों, के द्वारा हस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिभूति राशि (Security Deposit) रूपये 25,000/- (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के लिए रूपये 12,500/-) है। राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मामले में यह राशियाँ क्रमशः रूपये 10,000/- तथा रूपये 5,000/- है।

7. आपका कर्त्तव्य

भारतीय लोकतंत्र के आदर्श नागरिक बनने के लिए, मतदाता सूचियों को ठीक तथा अपडेट (नवीनीकरण) करने के लिए तथा त्रुटि रहित मतदाता पहचान पत्र की तैयारी हेतु:-

- यदि आप आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं तो एक मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करवाएं, अपना मतदाता पहचान पत्र अवश्य बनवाएं तथा मतदान में भाग लें; क्योंकि मतदान करना आपका मौलिक अधिकार है। अतः जब भी कभी आपके निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हों तो आप मतदान में भाग अवश्य लें।
- अपना वोट बिना किसी दबाव, भय या प्रलोभन के डालें।
- निम्नलिखित परिस्थितियों में आप मतदाता पंजीकरण अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र द्वारा अवश्य सूचित करें :-

क. अपना निवास स्थान बदलने पर,

ख. अपने पड़ोस के परिवार/किराएदार के सदस्य जो मतदाता है, के किसी दूसरे स्थान पर रहने / चले जाने पर,

ग. मतदाता सूची में किसी मृत व्यक्ति का नाम देखने पर,

घ. मतदाता सूची में किसी नाम की एक से अधिक बार प्रविष्टि देखने पर,

8. आपका सहयोग

यदि आप चुनाव संबंधित कामकाज करने वाले कर्मचारियों के काम से संतुष्ट न हों तो मतदाता पंजीकरण अधिकारी या अगले उच्च अधिकारी/सम्बन्धित जिला उपायुक्त से सम्पर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रुटि रहित मतदाता पहचान पत्र बनाने के कार्य में विभाग को सहयोग देकर भागीदार बनें।

मुख्यालय पर अधिकारियों का विवरण

	दूरभाष	वर्तमान अधिकारियों के नाम
पदाधिकारी	कार्यालय	
1 मुख्य निर्वाचन अधिकारी	2711697	श्रीमती सुमिता मिश्रा
2 अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी	2701200	श्री एस. के. सेतिया
3 उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी	2728936	रिक्त
4 सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	2701362	श्री गुलशन गान्धी
मुख्यालय सूचना केन्द्र दूरभाष	0172-2701362	

उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं नगराधीश की सूची

1	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, पंचकूला	0172.2568311
2	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, अम्बाला	0171-2530400
3	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, यमुनानगर	01732-237806
4	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, कैथल	01746-234203
5	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, जींद	01681-269026
6	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, हिसार	01662-233243
7	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, फतेहाबाद	01667-230030

8	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, सिरसा	01666-248881 01666-248770
9	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, कुरुक्षेत्र	01744-220273
10	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, पानीपत	0180-2651801
11	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, सोनीपत	0130-2220638
12	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, रोहतक	01262-251336
13	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, भिवानी	01664-242121
14	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, रिवाड़ी	01274-225161
15	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, नारनौल	01282-251206
16	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, फरीदाबाद	0129-2227934
17	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, गुडगांव	0124-2320305
18	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, करनाल	0184-2266220
19	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, झज्जर	01251-252556
20	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, मेवात स्थित नूंह	01267-274610 01267-274611
21	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश, पलवल	01275-248910

निर्वाचन तहसीलदारों / निर्वाचन उप तहसीलदारों की सूची

1	निर्वाचन उप तहसीलदार, पंचकूला	0172-2572325
2	निर्वाचन तहसीलदार, अम्बाला	0171-2535175
3	निर्वाचन उप तहसीलदार, यमुनानगर	01732-237829
4	निर्वाचन उप तहसीलदार, कैथल	01746-235153
5	निर्वाचन उप तहसीलदार, जींद	01681-269106
6	निर्वाचन तहसीलदार, हिसार	01662-283178
7	निर्वाचन उप तहसीलदार, फतेहाबाद	01667-230146
8	निर्वाचन तहसीलदार, सिरसा	01666-248886
9	निर्वाचन तहसीलदार, कुरुक्षेत्र	01744-220507
10	निर्वाचन उप तहसीलदार, पानीपत	0180-2654282
11	निर्वाचन तहसीलदार, सोनीपत	0130-2221728
12	निर्वाचन तहसीलदार, रोहतक	01262-256337
13	निर्वाचन तहसीलदार, भिवानी	01664-246033
14	निर्वाचन उप तहसीलदार, रिवाड़ी	01274-222779
15	निर्वाचन उप तहसीलदार, नारनौल	01282-256220
16	निर्वाचन तहसीलदार, फरीदाबाद	0129-2227910
17	निर्वाचन तहसीलदार, गुडगांव	0124-2224047
18	निर्वाचन तहसीलदार, करनाल	0184-2275009
19	निर्वाचन उप तहसीलदार, झज्जर	01251-254246
20	निर्वाचन उप तहसीलदार, मेवात स्थित नूंह	01267-271109
21	निर्वाचन उप तहसीलदार, पलवल	01275-247706

निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों की सूची

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी के पद का नाम	मुख्यालय	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष कार्यालय
1. कालका	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	कालका	01733	220500
2. पंचकुला	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	पंचकुला	0172	2561685
3. नारायणगढ़	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	नारायणगढ़	01734	284008
4. अम्बाला छावनी	अतिरिक्त उपायुक्त	अम्बाला	0171	2530800
5. अम्बाला शहर	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	अम्बाला	0171	2530350
6. मुलाना (अ.जा.)	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	बराड़ा	01731	286711
7. सद्दौरा (अ.जा.)	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	बिलासपुर	01735	274890
8. जगाधरी	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	जगाधरी	01732	237805
9. यमुनानगर	अतिरिक्त उपायुक्त	यमुनानगर	01732	225000 237802
10. रादौर	जिला राजस्व अधिकारी	यमुनानगर	01732	201150
11. लाडवा	अतिरिक्त उपायुक्त	कुरुक्षेत्र	01744	220756
12. शाहबाद(अ.जा.)	जिला राजस्व अधिकारी	कुरुक्षेत्र	01744	221035
13. थानेसर	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	थानेसर	01744	220032
14. पेहोवा	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	पेहोवा	01741	220448
15. गुहला (अ.जा.)	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	गुहला	01743	221234
16. कलायत	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी	कैथल	01746	234358
17. कैथल	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	कैथल	01746	234220
18. पुण्डरी	अतिरिक्त उपायुक्त	कैथल	01746	234203
19. नीलोखेड़ी	(अ.जा.)अतिरिक्त उपायुक्त	करनाल	0184	2267351
20. इन्द्री	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी	करनाल	0184	2267892
21. करनाल	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	करनाल	0184	2267701
22. घरौडा	जिला राजस्व अधिकारी	करनाल	0184	2267271
23. असन्ध	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	असन्ध	01749	278334
24. पानीपत ग्रामीण	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	पानीपत	0180	2651303
25. पानीपत शहर	अतिरिक्त उपायुक्त	पानीपत	0180	2650152
26. इसराना (अ.जा.)	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी	पानीपत	0180	2653012
27. समालखा	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	समालखा	0180	2571100
28. गन्नौर	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	गन्नौर	0130	2460810
29. राई	जिला राजस्व अधिकारी	सोनीपत	0130	2221590
30. खरखौदा(अ.जा.)	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी	सोनीपत	0130	2220588
31. सोनीपत	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	सोनीपत	0130	2222100
32. गोहाना	अतिरिक्त उपायुक्त	सोनीपत	0130	2222701
33. बरोदा	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	गोहाना	01263	252049
34. जुलाना	अतिरिक्त उपायुक्त	जीन्द	01681	269129, 269130

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी के पद का नाम	मुख्यालय	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष कार्यालय
35. सफीदों	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	सफीदों	01686	262050
36. जीन्द	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	जीन्द	01681	269003
37. उचाना कलां	जिला राजस्व अधिकारी	जीन्द	01681	269004
38. नरवाना (अ.जा.)	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	नरवाना	01684	240130
39. टोहाना	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	टोहाना	01692	230280
40. फतेहाबाद	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	फतेहाबाद	01667	230011
41. रतिया (अ.जा.)	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	रतिया	01697	251700
42. कालावाली	(अ.जा.)उप मण्डल अधिकारी (ना0)	सिरसा	01666	247345
43. डबवाली	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	डबवाली	01668	222997
44. रानियां	जिला राजस्व अधिकारी	सिरसा	01666	248882
45. सिरसा	अतिरिक्त उपायुक्त	सिरसा	01666	247235
46. ऐलनाबाद	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	ऐलनाबाद	01698	220287
47. आदमपुर	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	हिसार	01662	232798
48. उकलाना(अ.जा)	भूमि अधिग्रहण अधिकारी	हिसार	01662	247689
49. नारनौद	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी	हिसार	01662	230927
50. हांसी	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	हांसी	01663	254074
51. बरवाला	जिला राजस्व अधिकारी	हिसार	01662	231137
52. हिसार	महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन	हिसार	01662	231028
53. नलवा	अतिरिक्त उपायुक्त	हिसार	01662	232692
54. लोहारू	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	लोहारू	01252	258227
55. बाढडा	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी	भिवानी	01664	242771
56. दादरी	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	दादरी	01250	220053
57. भिवानी	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	भिवानी	01664	242101
58. तोशाम	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	तोशाम	01253	258352
59. बवानी खेड़ा (अ.जा.)	अतिरिक्त उपायुक्त	भिवानी	01664	242893
60. महम	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	महम	01257	233148
61. गढ़ी सांपला-किलोई	अतिरिक्त उपायुक्त	रोहतक	01262	250575
62. रोहतक	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	रोहतक	01262	252101
63. कलानौर(अ.जा.)	जिला विकास और पंचायत अधिकारी	रोहतक	01262	230252
64. बहादुरगढ़	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	बहादुरगढ़	01276	230306
65. बादली	जिला विकास और पंचायत अधिकारी	झज्जर	01251	252558
66. झज्जर (अ.जा.)	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	झज्जर	01251	252002
67. बेरी	अतिरिक्त उपायुक्त	झज्जर	01251	252442 252742
68. अटेली	अतिरिक्त उपायुक्त	नारनौल	01282	251255
69. महेन्द्रगढ़	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	महेन्द्रगढ़	01285	220228

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी के पद का नाम	मुख्यालय	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष कार्यालय
70. नारनौल	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	नारनौल	01282	251153
71. नांगल चौधरी	जिला राजस्व अधिकारी	नारनौल	01282	251209
72. बावल (अ.जा.)	अतिरिक्त उपायुक्त	रेवाड़ी	01274	225249
73. कोसली	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	कोसली	01259	275106
74. रेवाड़ी	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	रेवाड़ी	01274	222270
75. पटौदी (अ.जा.)	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	पटौदी	0124	2672900
76. बादशाहपुर	अतिरिक्त उपायुक्त	गुडगांव	0124	2322211
77. गुडगांव	उप मण्डल अधिकारी (ना0)-उत्तर	गुडगांव	0124	2321808
78. सोहना	उप मण्डल अधिकारी (ना0)-दक्षिण	गुडगांव	0124	2225042
79. नूंह	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	नूंह	01267	271201
80. फिरोजपुर झिरका	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	फिरोजपुर	01268	277222
81. पुनहाना	अतिरिक्त उपायुक्त	नूंह	01267	274605, 274606
82. हथीन	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	हथीन	01275	261480
83. होडल (अ.जा.)	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	होडल	01275	235836
84. पलवल	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	पलवल	01275	252700
85. पृथला	महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन	फरीदाबाद	0129	2241464
86. फरीदाबाद एनआईटी	अतिरिक्त उपायुक्त	फरीदाबाद	0129	2227922
87. बड़खल	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	फरीदाबाद	0129	2227868
88. बल्लभगढ़	उप मण्डल अधिकारी (ना0)	बल्लभगढ़	0129	2304500
89. फरीदाबाद	जिला राजस्व अधिकारी	फरीदाबाद	0129	2227937
90. तिगांव	जिला विकास और पंचायत अधिकारी	फरीदाबाद	0129	2227938

पंचायत, नगरपालिका व नगरपरिषद के चुनावों व वोटर-सूचियों से सम्बन्धित कार्य एक अलग आयोग नामतः हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, जिसका पता व फोन नं० इत्यादि इस प्रकार है:-

राज्य चुनाव आयोग हरियाणा, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला ।

कार्यालय	फोन नं०			ई-मेल
	एसटीडी	कार्यालय	फैक्स	
राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा	0172	2584904	2585904	echry@hry.nic.in
सचिव	0172	2584810	2585671	...

सुमिता मिश्रा
मुख्य चुनाव अधिकारी, हरियाणा
30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17,
चण्डीगढ़-160017